



पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

सराहनीय कार्य

दिनांक 17.04.2021

1-थाना फेस 3 द्वारा बहलोलपुर में हवाई फायरिंग करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक देशी अवैध पिस्टल मय 03 जिंदा कारतूस गिरफ्तार।

दिनांक 16/4/2021 को थाना फेस 3 पर क्रिकेट खेलने के दौरान हवाई फायरिंग को लेकर पंजीकृत अभियोग के वांछित अभियुक्त कोशिन्द्र उर्फ गोला पुत्र लोकेश निवासी ग्राम बहलोलपुर थाना फेस 3 को एस0 जे0 एम0 छिजारसी कट के पास से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त का विवरण-

कोशिन्द्र उर्फ गोला पुत्र लोकेश निवासी बहलोलपुर थाना फेस 3 गौतमबुद्ध नगर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0 आ0 स0 313/21 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना फेस 3 गौतमबुद्ध नगर

बरामदगी का विवरण-

एक देशी पिस्टल व 03 कारतूस



2- थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा कम्पनी की गाड़ियों को किराए के नाम पर लेकर धोखाधड़ी कर अन्य राज्यों में बेचने वाले गिरोह का एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक इनोवा कार बरामद।

दिनांक 17.04.20 को बीटा 2 पुलिस द्वारा लोगो से फर्जी एग्रीमेन्ट कर धोखाधड़ी करके भिन्न भिन्न गाड़ियो को किराये के नाम पर लेकर अन्य शहरो व राज्यों में लोगो को धोखा देकर खरीदी हुई गाडी बताकर बेच देने वाले गिरोह के एक सदस्य अभियुक्त कोमिल कुमार पुत्र मुकेश कुमार नि० सूरजपुर हाल पता - पैरामाउंट गोल्फ फोरेस्ट तिलपता थाना सूरजपुर ग्रेटर नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर को धोखाधड़ी कर ठगी की हुई गाड़ी UP 16 BV0072 इनोवा ग्रे कलर के साथ गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का एक साथी अभियुक्त को दिनांक 15-04-2021 को 12 गाड़ियो के साथ गिरफ्तार किया जा चुका है ।

अपराध करने का तरीका-

अभि० शातिर किस्म का अपराधी है जो अपने साथियो के साथ मिलकर अलग- अलग लोगो से फर्जी एग्रीमेन्ट तैयार कर धोखाधड़ी करके भिन्न भिन्न गाड़ियो को किराये के नाम पर लेकर अन्य जगह तस्करो व अन्य लोगो को धोखा देकर खरीदी हुई गाडी बताकर बेच देते है और अवैध धन अर्जित करते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.कोमिल कुमार पुत्र मुकेश कुमार नि० सूरजपुर हाल पता - पैरामाउंट गोल्फ फोरेस्ट तिलपता थाना सूरजपुर ग्रेटर नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

239/2021 धारा 406/420/506/411/120बी भा०द०वि० थाना बीटा 2 गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण-

1.UP 16 BV0072 इनोवा ग्रे कलर



#जनपद में कोविड-19 महामारी के पुनः संक्रमण के खतरे को देखते हुए पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के निर्देशानुसार सभी थाना क्षेत्रों में पीसीआर, माइक मोबाइल जीप, पैदल गश्त टीम व स्वयं पुलिस अधिकारियों के द्वारा कोविड गाइडलाइन्स, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने, दो गज की दूरी व रात्रि कर्फ्यू के सम्बंध में लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। यदि कोई भी व्यक्ति कोविड सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर वैधानिक कार्यवाही करते हुए जुर्माना किया जाएगा।

इसी के क्रम में दिनांक 17.04.2021 को रात्रि 10 बजे तक बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर घूमने वालों पर विशेष अभियान चलाकर 3010 व्यक्तियों पर चालान की कार्यवाही करते हुए 3,49,400 रुपये का जुर्माना वसूला गया। जिसमे 33 व्यक्तियों पर संशोधित 1000 रुपये की दर से चालान किया गया। 1410 वाहनों का चालान करते हुए कुल 79700 रुपये शमन शुल्क वसूला गया साथ ही 04 वाहनों को सीज भी किया गया।

92 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188 भादवि के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए कुल 31 अभियोग पंजीकृत किये गये।